



नवयुग विद्यालय शैक्षिक समिति
(पंजीकरण संख्या -एस/23704 दिनांक 28 दिसंबर 1992)
(सोसायटी पंजीकरण अधिनियमXXI 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी
और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा 100% वित्त पोषित)

प्रधान कार्यालय:
एन.डी.एम.सी.-विज्ञान एवं मानविकी विद्यालय,
तुगलक रोड, नई दिल्ली -110001
011-23742170, 011-23347296

क्रमांक/43/निदेशक (शि/एन.स./2023

दिनांक:12.04.2023

परिपत्र

विषय: नवयुग विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए प्रवेश।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से नवयुग विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए दिनांक 13.04.2023 से नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश प्रारंभ होगा:

क्रमांक	कक्षा	कार्यक्रम	टिप्पणी
1	केजी/ कक्षा-1 (जैसा भी मामला हो)	13/04/2023 से 19/04/2023	प्रत्येक कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या 35 होगी।
2	कक्षा-2 से कक्षा-9 (सीटों की उपलब्धता के आधार पर)	13/04/2023 से 30/04/2023	नवयुग स्कूल, सरोजिनी नगर की कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ये नियम और शर्तें लागू नहीं होंगी, जिसके लिए अलग प्रवेश परीक्षा-NSSNET-2023 के माध्यम से प्रवेश किया जा रहा है।
3	कक्षा-10	कक्षा-10वीं में असाधारण पात्र अपवादस्वरूप एवं न्यायोचित प्रकरणों को छोड़कर किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं होगा।	
4	कक्षा-11वीं	सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड के परिणाम घोषित होने के बाद और सक्षम प्राधिकारी द्वारा मानदंड अनुमोदित किए जाने के बाद।	
5	कक्षा-12वीं	कक्षा-12वीं में असाधारण अपवाद योग्य एवं न्यायोचित मामलों को छोड़कर किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं होगा।	

2. 29.03.2023 को आयोजित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बी.ओ.जी.) की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2023-2024 और उसके बाद नवयुग स्कूलों में प्रवेश स्तर (केजी/कक्षा-1, जो भी लागू हो) में प्रवेश के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश होंगे:

(i) दाखिले के लिए प्रार्थना पत्र निशुल्क होगा। दाखिले के लिए प्रार्थना पत्र स्कूल की या एन. डी. एम. सी. की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट किया जा सकता है। सम्बंधित स्कूल भी अपने काउंटर से भे फॉर्म उपलब्ध करा सकते हैं। फॉर्म की एक प्रति इस परिपत्र के साथ भी संलग्न है।

(ii) आवेदक अपनी इच्छा के अनुसार एक से अधिक विद्यालयों में आवेदन कर सकता है। अलग अलग विद्यालयों के लिए अलग अलग फॉर्म भरने होंगे।

(iii) सभी नवयुग स्कूलों में, पहले की तरह एनडीएमसी/एनएसईएस कर्मचारियों के बच्चों को छोड़कर, केवल एनडीएमसी क्षेत्र के निवासी ही आवेदन करने और प्रवेश पाने के पात्र होंगे। इसके अलावा, बच्चे और माता-पिता को प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की तारीख (13.04.2023) से कम से कम एक वर्ष पहले एनडीएमसी क्षेत्र में रहना चाहिए, यानी उन्हें 12.04.2023 तक कम से कम पिछले एक वर्ष से एनडीएमसी क्षेत्र में रहना चाहिए।

(iv) कोई फोटो सहित वैध सरकारी दास्तावेज जैसे कि बच्चे के माता-पिता के नाम (माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं होने की स्थिति में कानूनी अभिभावक) द्वारा दास्तावेज के साथ दिया गया फोटो पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा, एनडीएमसी क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के निवास को प्रमाणित करने के लिए, पिछले एक वर्ष के दौरान नियमित वैध लेनदेन वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक पासबुक/बिजली के बिल/पानी के बिल/गैस बिल (अंतिम तिमाही में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) वित्तीय वर्ष माता-पिता के नाम पर जमा करना होगा। प्रथम तिमाही के प्रथम (अर्थात अप्रैल) और अंतिम तिमाही के अंतिम माह (अर्थात मार्च) का बिल संलग्न करना आवश्यक है।

(v) किसी भी चरण/समय पर यह साबित होने पर कि प्रार्थी द्वारा जमा किए गए दास्तावेज नकली थे, एनडीएमसी/एनएसईएस के सक्षम प्राधिकारी को प्रवेश को रद्द करने और उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

(vi) एनडीएमसी क्षेत्र में कम से कम पिछले एक वर्ष से रहने की अवधि की शर्त (जैसा की ऊपर बिंदु (iii) में दिया गया है, उन पेरेंट्स के लिए छूट दी जाएगी, यदि माता-पिता ने एनडीएमसी क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में सरकारी मकान का कब्जा लिया है तो इसके लिए उनको उसके नाम पर आवास, के हालिया बिजली/पानी के बिल की प्रति जमा करनी होगी।

(vii) दादा-दादी या स्थानीय अभिभावकों के पते का प्रमाण (जब तक कि आवेदक कानूनी रूप से उनके द्वारा नहीं अपनाया जाता है) प्रवेश के उद्देश्य के लिए वैध नहीं माना जाएगा।

(viii) प्रवेश के लिए बच्चों का चयन "प्वाइंट सिस्टम" और यदि जरूरत पड़ी तो उसके पश्चात "ड्रा ऑफ लॉट्स" द्वारा तैयार सूची के आधार पर होगा।

(ix) शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से प्रवेश स्तर की कक्षा (के.जी./कक्षा-1, जो भी लागू हो) में प्रत्येक सेक्शन की आदर्श संख्या 35 छात्रों की होगी। प्रवेश स्तर (केजी/कक्षा-1) के प्रति सेक्शन सभी 35 सीटें पॉइंट सिस्टम/ड्रा के अनुसार ही भरी जाएंगी।

(x) इसके अलावा, इन सीटों में से 30% श्रेणी "ए" के आवेदकों के लिए रखी जाएंगी और शेष 70% सीटें श्रेणी "बी" के आवेदकों के लिए होंगी। श्रेणी "ए" को परिभाषित करने के लिए माता-पिता की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये को मानदंड के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार, यदि माता-पिता/कानूनी अभिभावक दोनों की वार्षिक आय (जो भी लागू हो), सभी स्रोतों से पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो बच्चे को श्रेणी "ए" से संबंधित कहा जाएगा। अन्यथा बच्चे को श्रेणी "बी" में माना जाएगा।

(xi) श्रेणी "ए" और "बी" के भीतर, उप-श्रेणियों जैसे एससी /एसटी के लिए सीटों का आरक्षण नवयुग स्कूलों में अपनाई गई पिछली प्रथा के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार, श्रेणी "ए" और "बी" के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी (अर्थात् सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) में उपलब्ध सीटों की संख्या प्रत्येक विद्यालय में समान मानदंड का उपयोग करके अलग से निर्धारित की जाएगी।

(xii) ऐसे श्रेणी "ए" के छात्र जो अर्जित अंकों या ड्रा के माध्यम से प्रवेश पाने में विफल रहते हैं, उन्हें भी श्रेणी "बी" के ड्रा में भी विचार किया जायेगा। इसके अलावा, श्रेणी 'ए' के स्कोर(अंक)आधारित चयन और ड्रा के बाद बचे हुए श्रेणी 'ए' के आवेदकों को श्रेणी 'बी' के ड्रा (जहां भी आवश्यकता होगी) के साथ विचार किया जायेगा।

(xiii) बिंदु आधारित प्रणाली:

मूल पात्रता पर विचार करने के बाद, एनडीएमसी क्षेत्र निवास और आयु उपयुक्तता के आधार पर, उप-श्रेणी-वार (सामान्य/एससी/ एसटी) [प्रत्येक श्रेणी (ए/ बी) के भीतर] निम्नलिखित बिंदु प्रणाली के अनुसार आवेदक द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट सूची अलग से तैयार की जाएगी:-

क्र.सं.	सीटों के लिए मानदंड	आवंटित अंक
1	क्या बच्चा स्कूल के नजदीक रहता है? (स्कूल से निवास की दूरी गूगल मैप के अनुसार, दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र में उल्लिखित निवास की दूरी तय की जाएगी)	कुल अंक – 30: (i) दूरी <3 किमी..... 30 अंक (ii) 3 से 5 किमी के बीच की दूरी...20 अंक (iii) दूरी > 5 किमी..... 10 अंक
2	यदि बच्चे का भाई/बहन स्कूल की एक ही शाखा में है?	20 अंक
3	यदि बच्चे के माता-पिता नियमित सरकारी/एनएसईएस/एनडीएमसी कर्मचारी हैं?	कुल: 20 अंक यदि माता-पिता एनडीएमसी/एनएसईएस के नियमित कर्मचारी है..... 20 अंक यदि माता-पिता एक अन्य नियमित सरकारी (एनडीएमसी/एनएसईएस कारांचारी के अलावा) कर्मचारी है...15 अंक
4	यदि बच्चा लड़की है/पहली संतान है तो	10 अंक
5	यदि बच्चा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (RPWD Act 2016) के अनुसार विकलांग व्यक्ति	10 अंक

क्र.सं.	सीटों के लिए मानदंड	आवंटित अंक
	श्रेणी से संबंधित है।	
6	यदि बच्चे के एकल माता-पिता हैं या कोई जीवित माता-पिता नहीं है तो	10 अंक
	कुल	100 अंक

(xiv) श्रेणी-वार अंतिम स्कोर सूची प्रत्येक उप-श्रेणी ("ए" और "बी" श्रेणियों के भीतर।) में भारत के दिशानिर्देश – सामान्य/ एससी / एसटीके लिए उपलब्ध सीटों की संख्या को दर्शाएगी अर्थात् यह उपरोक्त बिंदु प्रणाली के अनुसार स्कोर के आधार पर "ए" और "बी" श्रेणी के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी के शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों की सूची को भी दिखाएगा। इस प्रकार, प्रत्येक श्रेणी के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए अलग-अलग स्कोर सूची तैयार की जाएगी। ऐसी अंतिम (प्रोविजनल) सूचियाँ स्कूल नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएँगी।

(xv) प्रदर्शित अंतिम स्कोर सूची पर माता-पिता को शिकायतों, यदि कोई हो, को हल करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। जिसके लिए माता-पिता लिखित दस्तावेजों के साथ स्कूल में आवेदन करेंगे। सुधार के बाद, यदि कोई हो, तो शॉर्टलिस्ट किए गए पात्र उम्मीदवारों की अंतिम सूची पॉइंट सिस्टम के माध्यम से चयन के लिए प्रदर्शित की जाएगी और यदि आवश्यक हो, तो बाद में ड्रा के माध्यम से भी। अंतिम सूची की जांच करना, समय पर सुधार करना और सही सूची को सत्यापित करना माता-पिता की जिम्मेदारी होगी। हालांकि स्कूल अंतिम सूची तैयार करने के लिए सावधानीपूर्वक काम करेगा, हालांकि, यदि आवश्यक हो तो माता-पिता सुधार के लिए कोई पहल नहीं करते हैं तो स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।

(xvi) यदि निर्धारित अंक प्रणाली के आधार पर अर्जित अंकों के माध्यम से पात्र लघु-सूचिबद्ध आवेदकों की संख्या संबंधित श्रेणी या उप-श्रेणी में उपलब्ध सीटों की संख्या से अधिक है तो प्रवेश, ड्रा (उप श्रेणीवार) के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक आवेदकों के साथ अंकों की बराबरी के मामले में ऐसे ड्रा माता-पिता की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से पर्ची / टोकनके माध्यम से किए जाएंगे।

(xvii) ड्रा के लिए पात्र आवेदकों के सभी अभिभावकों को स्कूल द्वारा वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, ईमेल और एसएमएस संदेश के माध्यम से ड्रा की तारीख से कम से कम दो दिन पहले सूचित किया जाएगा। स्कूल किए गए ऐसे सभी संचारों का रिकॉर्ड रखेगा। इसके अतिरिक्त टेलीफोन, मोबाइल के माध्यम से भी संचार किया जा सकता है। वीडियोग्राफी के तहत ड्रा का आयोजन किया जाएगा और इसकी फुटेज को वीडियोग्राफी की तारीख से 1 वर्ष तक स्कूल द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

(xviii) यह माता-पिता की जिम्मेदारी होगी कि वे ड्रा की प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से भाग लें। यदि वे निर्धारित तिथि/समय पर ड्रा में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने में विफल रहते हैं तो माता-पिता को वीडियो दिखाने के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उचित मामलों में, वीडियोग्राफी प्रत्येक बार

माता-पिता से 1000 रुपये प्रति बच्चा शुल्क लेकर दिखाई जा सकती है। इस मामले में निदेशक (शिक्षा/एनएसईएस)का निर्णय मान्य होगा।

(xix) पर्ची/टोकन जिसका उपयोग ड्रा के लिए किया जा रहा है, बॉक्स में डालने से पहले माता-पिता को दिखाया जाएगा।

(xx) श्रेणी "ए" और श्रेणी "बी" के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी (सामान्य/ एससी / एसटी) के लिए अलग से ड्रा निकाला जाएगा।

(xxi) प्वाइंट सिस्टम और उसके पश्चात आवश्यकता पड़ने पर होने वाले ड्रा ऑफ लॉट्स (यथा लागू) के आधार और योग्यता (eligibility) के आधार पर चयनित ए" और "बी" में उम्मीदवारों की पहली सूची श्रेणी के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी) में उपलब्ध सीटों की संख्या के अनुसार तैयार की जाएगी।

(xxii) सीटों की "ए" और "बी" श्रेणी के भीतर प्रत्येक उप-श्रेणी (सामान्य/एससी/एसटी) के लिए चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची दस्तावेजों और देय राशि को जमा करने की अंतिम तिथि (और समय) को इंगित करते हुए संबंधित स्कूलों के स्कूल नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।

(xxiii) प्रत्येक उप-श्रेणी के लिए 1:5 के अनुपात में उम्मीदवारों की श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची भी अलग से, प्वाइंट सिस्टम के आधार और मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक जैसे स्कोर (अंक) अर्जित करने वाले उम्मीदवारों की संख्या उस उप श्रेणी में इंगित सीटों से ज्यादा है तो चयन ड्रा के द्वारा किया जाएगा। उसी दिन प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों का विवरण संबंधित स्कूल की वेबसाइट, स्कूल नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों/अभिभावकों को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त टेलीफोन/मोबाइल के माध्यम से संचार किया जा सकता है।

(xxiv) माता-पिता को चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रदर्शित होने के 3 दिनों के भीतर देय राशि और प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है, अन्यथा प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा, और सीट अगले प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवार को स्थानांतरित कर दी जाएगी। इसलिए, माता-पिता को सलाह दी जाती है कि वे सभी तैयारियां/दस्तावेजों को पहले से पूरा कर लें।

(xxv) यदि कोई सीट रह जाती है/खाली हो जाती है, तो उसी उप श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में वरियता के क्रम में उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यदि कोई दूसरी प्रतीक्षा सूची तैयार करने की आवश्यकता है, तो उसे स्कूल नोटिस बोर्ड, वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। माता-पिता/छात्रों को वेबसाइट, ईमेल, स्कूल नोटिस बोर्ड, एसएमएस या किसी भी माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसके लिए संचार का दस्तावेजी प्रमाण स्कूल रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

(xxvi) यदि प्रतीक्षा सूची समाप्त होने के बाद भी कोई सीट खाली रहती है और उस उप-श्रेणी (अजा/अजजा) का कोई उम्मीदवार विचार के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो रिक्त सीट को प्रतीक्षा सूची में उस उप श्रेणी की सूची (अर्थात् श्रेणी 'ए' और श्रेणी 'बी')में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा।

(xxvii) कोई भी स्कूल या व्यक्ति किसी बच्चे को प्रवेश देते समय माता-पिता से कैपिटेशन शुल्क/दान नहीं लेगा। इस तरह की घटना संज्ञान में आने पर दोषी कर्मी/व्यक्ति खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(xxviii) आयु सीमा के संबंध में, प्री-प्राइमरी (केजी)/कक्षा-1 में प्रवेश स्तर पर प्रवेश के लिए, प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कैलेंडर के 31 मार्च तक (केजी के लिए)-चार वर्ष अर्थात बच्चे की जन्म तिथि 01.04.2018 से 31.03.2019 के बीच होनी चाहिए / (कक्षा-1 के लिए)-पांच वर्ष अर्थात बच्चे की जन्म तिथि 01.04.2017 से 31.03.2018 बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक वर्ष 2023-2024 के लिए उपरोक्त आयु सीमा की गणना डीओई परिपत्र संख्या एफ. डीआर.15(172) पीएसबी/2016.9483-9492 दिनांक 21/11/22 के अनुसार 31.03.2023 को की जाएगी।

क) डीओई के परिपत्र सं. F. DR.15(172) PSB/2016.9483-9492 दिनांक 21/11/22, प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए न्यूनतम और ऊपरी आयु सीमा में स्कूल के प्रमुख के स्तर पर 30 दिनों तक प्रवेश के लिए आयु में छूट दी जा सकती है।

ख) यदि बच्चा छूट देने के बाद योग्य है तो एचओएस प्रवेश देने के समय अपने स्तर पर इस तरह की छूट दे सकता है। इस संबंध में माता-पिता से अलग से लिखित अनुरोध मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(xxix) प्रत्येक स्कूल में विधिवत रूप से गठित 5 सदस्यों की "प्रवेश निगरानी समिति" होगी, जिसमें स्कूल के शिक्षक/कर्मचारी शामिल होंगे, जैसा कि विद्यालय प्रमुख द्वारा तय किया जाएगा और समिति में कम से कम एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षक/कर्मचारी होगा। समिति विद्यालय प्रमुख के तत्वावधान में प्रवेश प्रक्रिया का संचालन करेगी और प्रवेश प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी।

(xxx) शैक्षणिक सत्र 2023-2024 से सभी छात्रों (केजी से कक्षा-बारहवीं तक) से 1200/- रुपये प्रति वर्ष (रु. 100/- प्रति माह) की राशि विद्यालय विकास शुल्क के रूप में प्रवेश के समय/अप्रैल माह में नए शैक्षिक सत्र शुरू होने के समय ली जाएगी।

(xxxi) प्रवेश के समय सभी छात्रों से रु. 1000/- की एकमुश्त (वापसी योग्य) कॉशन मनी ली जाएगी। यदि छात्र स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और जुर्माने की राशि संबंधित छात्रों की इस कॉशन मनी से काट ली जाएगी। यह जुर्माना स्कूल के खाते में जमा किया जाएगा और इसकी रसीद अभिभावक/विद्यार्थी को दी जाएगी। जुर्माने की राशि कटने के बाद छात्र/छात्रा को फिर से 1000/- रुपये की राशि कॉशन फीस मैन्टेन करनी होगी। स्कूल की संपत्ति की क्षति 1000/- रुपये से अधिक होने की स्थिति में माता-पिता को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा जब छात्र स्कूल छोड़ देता है, तो स्कूल (माता-पिता द्वारा दावा जमा करने की प्रतीक्षा किए बिना), स्कूल के पास पहले से उपलब्ध छात्र/माता-पिता के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी।

(xxxii) पूर्व की भांति दाखिले के समय एक मुश्त 40/- रुपये का प्रवेश शुल्क लिया जायेगा। हालाँकि श्रेणी 'ए' के लिए यह केवल 20/- रुपये होगा।

3. फार्म भरते समय निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनका सत्यापन प्रवेश फार्म जमा करते समय मूल दस्तावेजों के माध्यम से किया जाएगा।

3.1 एनडीएमसी/एमसीडी या किसी अन्य स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र और बच्चे, माता और पिता में से प्रत्येक का एक पासपोर्ट आकार का फोटो।

3.2 आय प्रमाण पत्र: नवयुग विद्यालयों में श्रेणी 'ए' में प्रवेश लेने के उद्देश्य से माता-पिता को नवीनतम आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। आय प्रमाण पत्र के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा:-

(ए) सरकार कर्मचारी के लिए, विभाग प्रमुख द्वारा आईटी अधिनियम, 1961 के तहत जारी किया गया। फॉर्म-16.

(बी) गैर-सरकारी के लिए, आईटी अधिनियम, 1961 के तहत, नियोक्ता का प्रमाण पत्र फॉर्म -16.

(सी) स्व-रोजगार के लिए, आयकर विभाग या बिक्री कर रिटर्न से भरी हुई आय की नवीनतम विवरणी की एक प्रति।

(डी) कोई अन्य सरकारी दस्तावेज आय के स्तर को निर्दिष्ट करता है।

(ई) सरकार द्वारा जारी बीपीएल प्रमाण पत्र।

3.3 निवास के प्रमाण के लिए माता-पिता का मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड।

3.4 बैंक पासबुक/बिजली बिल/गैस बिल/पानी का बिल। माता-पिता के नाम पर दिए गए आवासीय पते पर पिछले एक वर्ष में निवास के प्रमाण के लिए- पिछले वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाहियों में से कम से कम एक - अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक। लेनदेन का विवरण। इस विषय पर उपरोक्त पैरा 2(iv) का संदर्भ देखें।

3.5 घर से स्कूल के दूरी को दर्शाते हुए गूगल मैप की कॉपी।

3.6 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र।

3.7 पीडब्ल्यूडी श्रेणी के बच्चे के लिए, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार वैध दस्तावेजी प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

3.8 स्कूल की एक ही शाखा में पढ़ने वाले भाई-बहन के संबंध में, यदि लागू हो, वैध दस्तावेजी प्रमाण, जैसे विकास शुल्क रसीद जमा करनी होगी।

3.9 नियमित सरकारी/एनएसईएस/एनडीएमसी के लिए-कर्मचारी-माता-पिता के पहचान पत्र की प्रति या कोई अन्य वैध दस्तावेजी प्रमाण जमा करना होगा।

3.10 यदि संतान बालिका है/पहली संतान है तो माता-पिता द्वारा स्वाघोषित जमा करना होगा।

3.11 अभिभावक को एकल माता-पिता/अजीवित माता-पिता के लिए कानूनी अभिवाभावक को वैध कानूनी दस्तावेज जमा करना होगा।

3.12 चयनित बच्चों के मामले में, माता-पिता द्वारा प्रवेश की तारीख से 6 महीने के भीतर टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. प्रवेश के समय पेरेंट्स द्वारा दिए गए सभी तथ्य और दावे मूल दस्तावेजों से पुनः सत्यापित किये जायेंगे. जन्म तिथि का मूल प्रमाण पत्र और बच्चे और माता पिता/ के 02-02 पासपोर्ट साइज़ के फोटोग्राफ जमा करने आवश्यक हैं।

5. प्रवेश के समय जमा की जाने वाली कुल 2240 /-रुपये की फीस का विवरण नीचे दिया गया है:

(अ) एकमुश्त प्रवेश शुल्क रु. 40/- (श्रेणी 'ए' के लिए रु. 20/-)

(ब) वार्षिक विकास शुल्क रु. 1200/- .

(स) कॉशन मनी रु. 1000/-.

5. किसी अन्य जानकारी हेतु संबंधित नवयुग विद्यालयों के प्रमुखों से सभी कार्य दिवसों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यालय सहायता/पूछताछ के लिए अपने स्कूलों में सहायता काउंटर खोलेगा। इस काउंटर पर प्रवेश सम्बंधित पूर्ण जानकारी रखने वाले एक या दो कर्मचारी पेरेंट्स के पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे और उनके मोबाइल नंबर भी उपलब्ध होंगे।



(आर.पी. सती)
निदेशक (शिक्षा)

प्रतिलिपि:

1. नवयुग विद्यालयों के समस्त प्रमुखों को अनुपालन हेतु।

सूचना के लिए प्रतिलिपि:

1. एन.डी.एम.सी. परिषद के सभी माननीय सदस्य।
2. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को एनडीएमसी की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करे।
3. अध्यक्ष, एन.डी.एम.सी. के निजी सचिव।
4. सचिव, एनडीएमसी के निजी सहायक।
5. उप निदेशक (सामान्य), एन.एस.ई.एस.।
6. संयुक्त निदेशक (शिक्षा/एन.एस.ई.एस.)।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी।



नवयुग विद्यालय शैक्षणिक समिति

मुख्य कार्यालय : न.दि.न.प. विज्ञान एवं मानविकी विद्यालय
तुगलक रोड, नई दिल्ली - ११०००१



(नवयुग विद्यालय में सत्र २०२३-२४ के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र) NAVYUG SCHOOL EDUCATIONAL SOCIETY

HEAD OFFICE: NDMC SCHOOL OF SCIENCE & HUMANITIES
TUGHLAK ROAD, NEW DELHI-110001

(APPLICATION FOR REGISTRATION IN NAVYUG SCHOOLS FOR THE SESSION 2023-2024)
(THE FORM IS TO BE FILLED IN CAPITAL LETTERS)

(Separate form is to be filled for different Navyug Schools)

- पंजीकरण के लिए चुने गए विद्यालय का नाम :
SCHOOL SELECTED FOR REGISTRATION :
- कक्षा जिसमें प्रवेश के लिए आवेदन किया है :
ENTRY LEVEL CLASS FOR WHICH ADMISSION IS APPLIED (KG / I)
- छात्र/छात्रा का नाम :
NAME OF THE STUDENT :
FIRST NAME MIDDLE NAME
LAST NAME/SURNAME
- लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)
GENDER (MALE/FEMALE/OTHER):
- नागरिकता (भारतीय/अन्य)
NATIONALITY (INDIAN / OTHERS).....
IF OTHERS STATE THE SAME
- जन्म स्थान : (i) राज्य (ii) जिला
PLACE OF BIRTH : (i) STATE (ii) DISTRICT
- जन्मतिथि: तिथि महीना वर्ष
DATE OF BIRTH : DATE MONTH YEAR
- धर्म (हिन्दू/मुस्लिम/सिख/इसाई/जैन/अन्य)
RELIGION (HINDU/MUSLIM/SIKH/CHRISTIAN/JAIN/OTHER)
- छात्र/छात्रा का आधार संख्या :
AADHAR NO. OF STUDENT :
- महत्वपूर्ण सूचना भेजने के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक का ई-मेल व मोबाईल नंबर :
E-MAIL ADDRESS & MOBILE NUMBER OF PARENTS/LEGAL GUARDIAN FOR SENDING
IMPORTANT INFORMATION THROUGH SMS/E-MAIL:
E-MAIL ADDRESS
MOBILE NO.
- आवासीय पता/पत्राचार के लिए पता :
RESIDENTIAL ADDRESS / ADDRESS FOR COMMUNICATION
- स्थायी पता :
PERMANENT ADDRESS

13. क्या छात्र/छात्रा शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं : (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो श्रेणी
श्रेणी (ओएच/दृष्टिबाधित/श्रवणबाधित/अन्य)

WHETHER THE CHILD IS PERSON WITH DISABILITY : (YES / NO) IF YES
CATEGORY (OH/VISUALLY IMPAIRED/HEARING IMPAIRED/OTHERS)

14. माता का नाम मोबाइल व्यवसाय

MOTHER'S NAME

MOBILE NO..... OCCUPATION

15. पिता का नाम मोबाइल व्यवसाय

FATHER'S NAME

MOBILE NO..... OCCUPATION

OR

संरक्षक का नाम मोबाइल व्यवसाय

LEGAL GUARDIAN'S NAME

MOBILE NO..... OCCUPATION.....

16. वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) :

ANNUAL INCOME OF FAMILY DURING FINANCIAL YEAR 2022-23 (FROM ALL SOURCES):

वार्षिक आय के आधार पर श्रेणी CATEGORY ON THE BASIS OF ANNUAL INCOME :

(यदि माता-पिता/कानूनी अभिभावक दोनों की वार्षिक आय (जैसा भी मामला हो) सभी स्रोतों से पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो बच्चे को श्रेणी "ए" से संबंधित कहा जाएगा, अन्यथा बच्चे को श्रेणी "बी" में माना जाएगा।

If the annual income of both parents/legal guardian (as the case may be) from all sources is less than or equal to Rs 2 lakhs in previous financial year, then the child will said to belong to category "A", otherwise the child will be considered in Category "B".)

17. उप-श्रेणी SUB CATEGORY (SC/ST/UR):

18. अंकों का आवंटन Allotment of Points

S. No.	Criteria (To be filled by parents)	Maximum Points as per System	Points allotted by Admission Committee
1.	गूगल मैप के अनुसार स्कूल से निवास की दूरी (कि.मी. में) Distance of residence from school (in Km) as per Google map	Total - 30 Points (i)Distance < 3 Km - 30 points. (ii)Distance between 3 to 5 Km - 20 points. (iii)Distance > 5 Km - 10 points	
2.	सिब्लिंग की संख्या (एक ही स्कूल में पढ़ने वाले सगे भाई-बहन) No. of Sibling(s) (Real brothers & sisters studying in same school) Name of Sibling(s) सिब्लिंग का नाम Class & Section कक्षा एवं वर्ग 1. 2.	20	
3.	यदि बच्चे के माता-पिता नियमित सरकारी/NSES/NDMC कर्मचारी हैं? If the parent of the child is a regular Govt./NSES/NDMC employee. Name (नाम) Designation (पदनाम) Employee Code (कर्मचारी कोड)..... Name of Organisation (संस्था का नाम)..... Address(संस्था का पता)	Total - 20 Points If the parent is regularNDMC/ NSES Employee - 20 points If the parent is a regular Govt. employee other than NDMC/ NSES - 15 points	
4.	क्या संतान बालिका है?/ क्या संतान पहली संतान है? हाँ / नहीं Is the child a Girl child / first born child? Yes/No यदि हां, तो संबंधित विकल्प लिखें..... If Yes, write the relevant option	10	
5.	क्या छात्र/ छात्रा RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी से है? Does the child belong to Person with Disability category as per RPWD Act 2016? Yes / No	10	
6.	क्या छात्र / छात्रा एकल माता-पिता की संतान है या कोई जीवित माता-पिता नहीं हैं ? Is the child having single parent or no alive parent? Yes/No यदि हां, तो संबंधित विकल्प लिखें..... If Yes, write the relevant option	10	
	TOTAL	100	

19. जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (प्रवेश के समय स्कूल में मूल जन्म प्रमाण पत्र जमा किया जाना है) स्थानीय नगर निकाय द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
DETAILS OF BIRTH CERTIFICATE (ORIGINAL BIRTH CERTIFICATE TO BE SUBMITTED IN THE SCHOOL AT THE TIME ADMISSION) BIRTH CERTIFICATE ISSUED BY LOCAL MUNICIPAL BODY.
Registration No. पंजीकरण संख्या।
Issuing Authority जारी करने वाला प्राधिकरण

20. **Declaration: The above information is correct to my knowledge and belief. If any of the information is found to be false, I shall be held responsible and my application may be rejected/admission may be cancelled.**

घोषणा: उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। यदि कोई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो मुझे जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मेरा आवेदन अस्वीकृत हो सकता है/ प्रवेश रद्द किया जा सकता है।

Attach Photographs

--	--	--	--

Mother

Father

Legal Guardian
(If applicable)

Child

Signature of Mother

माता के हस्ताक्षर

Signature of Father

पिता के हस्ताक्षर

Signature of Legal Guardian

कानूनी अभिभावक के हस्ताक्षर

(Name of the Mother)

(माता का नाम)

(Name of the Father)

(पिता का नाम)

(Name of the Legal Guardian)

(If applicable)

(कानूनी अभिभावक का नाम)(यदि लागू हो)

Date: _____

Place: _____

Self Attested Documents to be submitted along with the Admission Form:

1. Date of Birth Certificate issued by NDMC/MCD or Any other Local Municipal body.
2. One passport size photograph each of the child, mother and father.
3. **Income certificate** : For the purpose of seeking admission in Category 'A' in Navyug schools, parents are required to submit latest income certificate. For the purpose of income certificate, following documents will be accepted as proof:-
 - (a) For govt. employees, Form 16 under I.T. Act 1961 issued by the head of the department.
 - (b) For Non-govt. employees, Certificate of the employer along with Form-16 under I.T. Act, 1961.
 - (c) For Self-Employment, a copy of the latest return of income filed with the Income Tax Department or sales tax return.
 - (d) Any other govt. document specifying the level of income.
 - (e) BPL certificate issued by the govt.
4. Voter ID card/Aadhar card of parents and child for proof of residence.
5. Bank passbook/Electricity bill/gas bill/Water bill in the name of parent for proof of residence in last one year at the given residential address– At least one of each quarter of previous financial year – April 2022 to March 2023. For the first quarter (April-June), the bill of the month April 2022 will have to be submitted. For the last quarter (Jan-March), the bill of the month of March 2023 in the name of parents need to be submitted.
6. Copy of Google Map showing distance from residence to school.
7. SC/ST certificate in case of SC/ST category.
8. For PWD category child, valid documentary proof as per RPWD Act 2016.
9. Valid documentary proof such as latest Development fee receipt in respect of sibling studying in same branch of school, if applicable. This benefit will be given upto second child only.
10. For Regular employee of Govt./NSES/NDMC –Copy of Identity card of parent or any other valid documentary proof, if applicable.
11. Self declaration by the parent in case of First child/Girl child.
12. Valid legal document for single parent/no parent alive, if applicable for the legal guardian.
13. In case of selected children, the immunization certificate is to be submitted by the parents within 6 months from the date of admission.
14. At the time of admission, all original documents shall be verified again.
15. At the time of admission original date of birth certificate along with 2 photos each of child, mother and father/legal guardian are to be submitted.
16. Application form complete in all respects along with the entire set of self attested documents only will be accepted. Incomplete application form without the entire set of documents will not be considered for admission.
17. No capitation fee or any other amount except fee as mentioned in guidelines to be paid to the school or any other person.

SOME MAIN SCHOOL WISE NEIGHBORHOOD AREAS IN N.D.M.C.

<p>Navyug School, Sarojini Nagar</p> <p>Sarojini Nagar Netaji Nagar Narouji Nagar Palika Avas Sindhiaya Pottery Pilanji Village</p>	<p>Navyug School, Pandara Park</p> <p>Tilak Marg Police Station Bhagwandas Road Kaka Nagar Bapa Nagar Sikandra Road Golf Link Pandara Park Ravinder Nagar Khan Market</p>	<p>Navyug School, Peshwa Road</p> <p>Gole Market R.K Ashram Marg Shahid Bhagat Singh Marg Park Street Ram Manohar Lohia Hospital Gandhi Sadan K.G. Marg Raja Bazar Teen Murti Balmiki Basti</p>	<p>Navyug School, Lodhi Road</p> <p>Lodhi Colony</p>
<p>Navyug School, Vinay Marg</p> <p>Vinay Marg Chankya Puri Sardar Patel Marg (Palika Kutumb) Ashoka Hotel</p>	<p>Navyug School, Darbhanga House</p> <p>Aurangzeb Lane Southend Lane Man Singh Road Darbhanga House Akbar Road Humayun Road Prithviraj Road Lok Nayak Bhawan Tuglak Crescent Race Course</p>	<p>Navyug School, Moti Bagh</p> <p>Moti Bagh, (I&II) North R.K. Puram Ring Road Sec - 13 Nyay Marg Bapudham</p>	<p>Navyug School, Mandir Marg</p> <p>Mandir Marg Balmiki Basti Havlock Square Kali Bari Palika Dham President Estate Talkatora Road North & South Avenue</p>
<p>Navyug School, Laxmibai Nagar</p> <p>Laxmibai Nagar Kidwai Nagar (West & East) AIIMS Safdarjung Ansari Road Raj Nagar</p>		<p>Navyug School, Jor Bagh</p> <p>Jor Bagh Aliganj Karbala Ravinder Nagar Lodhi Complex Khan Market Safdarjung Airport Authority</p>	<p>Navyug School, Pataudi House</p> <p>Harish Chander Mathur Lane Kasturba Gandhi Marg Atul Grove Marg Janpath Bhartiya Vidhya Bhawan Bangali Market Copernicus Marg Bhagwan Das Road Ashoka Road Curzon Road India Gate</p>